पौषण और मातृत्व हक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून में बच्चों और महिलाओं की हकदारियाँ

विकास संवाद

कुपोषण का एकीकृत समुदाय आधारित प्रबंधन - नौ

शीर्षक

पोषण और मातृत्व हक

सहयोग और मार्गदर्शन

सुदेशना सेनगुप्ता, देविका सिंह, दीपा सिन्हा, वंदना प्रसाद, बिराज पटनायक, पूर्णिमा मेनन, रोली शिवहरे, राकेश दीवान, सुभेंदु भट्टाचार्य, संगीता एम., फरहत नशीं सिद्दीकी, प्रशांत दुबे, राघवेन्द्र सिंह, सीमा प्रकाश और अमीन चार्ल्स

संकलन

सचिन कुमार जैन

प्रकाशक

विकास संवाद

संपर्क

ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने,
अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश
फोन : 0755-4252789
vikassamvad@gmail.com
www.mediaforrights.org

संस्करण / वर्ष

पहला / 2014

सहयोग

सम्मान के साथ बच्चों एवं महिलाओं के पोषण और भोजन अधिकार की व्यापक पहल के तहत ***पोषण और क्राय*** के सहयोग से प्रकाशित

ISBN No.

978-93-81408-19-3

पोषण और मातृत्व हक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून में बच्चों और महिलाओं की हकदारियाँ

विकास संवाद

(भोजन का अधिकार सन्दर्भ केंद्र)

ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी कॉम्पलेक्स के सामने

अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश

फोन : 0755-4252789

ई-मेल : vikassamvad@gmail.com / वेबसाईट : www.mediaforrights.org

पृष्ठभूमि

भारत में हर 20 सेकेण्ड में एक बच्चे की मृत्यु होती है। इन दुर्घटनाओं में कुपोषण एक बड़ा कारण होता है। पोषण की कमी भारत में बच्चों के जीवन की सुरक्षा, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में एक बड़ा खतरा बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (तीसरा चक्र) के मुताबिक भारत में 0 से 59 माह के 43 प्रतिशत बच्चे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से कम वज़न के थे। इस मान से हमारे 5.3 करोड़ बच्चे कम वज़न के हैं, जिससे उनकी वृद्धि, विकास और पूरी क्षमताओं के साथ आगे बढ़ पाने की संभावनाएं खतरनाक ढंग से सीमित हो जाती हैं। बच्चों में कुपोषण के सूचक के हिसाब से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जहाँ सबसे ख़राब स्थिति है। हमसे ऊपर यमन, सूडान और नाइज़र हैं।

बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र और त्रिपुरा बच्चों के पोषण के सूचकों के हिसाब से बहुत ख़राब स्थिति वाले राज्य हैं।

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आर्थिक रूप से सबसे सम्पन्न तबकों में भी बच्चों के पोषण के सन्दर्भ में व्यवहार बहुत आदर्श नहीं है। हमारे यहाँ सबसे गरीब तबके में 52.5 प्रतिशत बच्चों को छह माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध (केवल स्तनपान) दिया जाता है, जबकि सबसे संपन्न तबके में 35.8% बच्चों को ही केवल माँ का दूध मिलता है। याने उन्हें इसके अलावा दूसरी सामग्री देना शुरू कर दी जाती है, जो सही व्यवहार नहीं है।

भारत में सामाजिक मान्यता और लैंगिक भेदभाव की व्यवस्था के चलते औरतों को कामकाजी मानने से इनकार किया जाता रहा है। जबकि सच यह है कि हर महिला कामकाजी है क्योंकि घर से लेकर घरेलु कामगार, निर्माण और खेतिहर मजदूरी तक में उसका श्रम लगता है, परन्तु इसके बाद भी उसे मातृत्व के बुनियादी हक़ नहीं मिलते हैं। महिला को बुनियादी हक़ के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं, प्रसव पूर्व जांच, पूरा आराम, भावनात्मक सहयोग, सुरक्षित प्रसव, प्रसव के बाद आराम और बच्चे को स्तनपान कराने के लिए काम से छुट्टी सहित एक पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है, पर हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को कभी ये हक़ नहीं मिले।

पहली मर्तबा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून- 2013 में बच्चों को पोषण, कुपोषण की पहचान, गर्भवती-धात्री महिलाओं को पोषण का अधिकार और मातृत्व हक़ दिए जाने का जिक्र है। इस देश, व्यवस्था और समाज को बच्चों-महिलाओं के लिए उपयोगी और स्वीकार्य बनाने की दिशा में यह एक बड़ी पहल है। अब चुनौती यह देखना है कि हमारी कार्यपालिका और इस क़ानून के क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था बनाने वाले लोग कितनी संवेदनशीलता और स्त्रीय नज़रिए से प्रावधानों को परिभाषित करते हैं? हमें विश्वास है कि क़ानून में लिखे हुए प्रावधानों को सीमित करने की नहीं, बल्कि व्यापक रूप से परिभाषित करने की प्रतिबद्धता दिखाई जायेगी।

आधार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 में बच्चों और महिलाओं के हकों को शामिल किया गया है। अब एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आंगनवाड़ी से मिलने वाली सेवाएं) में से पोषण आहार (बच्चों और महिलाओं के लिए) और कुपोषित बच्चों की पहचान का काम भी इस क़ानून में दर्ज हैं। यानी हर महिला और हर बच्चे को पोषण का हक है। इसके साथ ही महिलाओं, खास तौर पर जो असंगठित क्षेत्र में हैं या परिवार का काम करती हैं, को अब कानूनी रूप से मातृत्व हक देने की पहल हुई है।

इस क़ानून में माह तक के बच्चों के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इसे लागू करने के लिए एक व्यवस्था की स्थापना करना होगी। जिसमें – महिलाओं की पहचान और पंजीयन, काम से अवकाश और निश्चित समय के अवकाश के दौरान मजदूरी के भुगतान (जैसे अभी सरकारी और अर्द्ध सरकारी क्षेत्र में है) का प्रावधान और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था की जाना जरूरी होगा। केवल आर्थिक सहयोग, केवल पोषण आहार या केवल परामर्श सेवाओं से मातृत्व हक सुनिश्चित नहीं किये जा सकते हैं। सिद्धान्ततः हमें यह मानना होगा कि इन समग्र मातृत्व हकों से ही महिलाओं और नवजात शिशुओं के सम्मानजनक जीवन का अधिकार सुनिश्चित हो सकेगा।

यह क़ानून 14 वर्ष तक से बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के जरिये पोषण का हक प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि क़ानून में लिखे हकों को अर्थपूर्ण तरीके से जमीन पर लागू करना या करवाना बड़ी चुनौतियां हैं।

इन्हीं चुनौतियों का सामना करने की कड़ी में हम इस पुस्तिका के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि पोषण के अधिकार के मायने क्या हैं? वास्तव में क़ानून कहता क्या है और उन्हें लागू करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए?

अध्याय सूची

1. नजरिया 1

1. खाद्य सुरक्षा, भोजन का अधिकार और पोषण की सुरक्षा के मतलब 1
2. पोषण के हक को परिभाषित करते राष्ट्रीय नज़रिए 5
3. बच्चों के पोषण सम्बंधी अधिकारों को परिभाषित करने वाली प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाएं और संधियाँ 6

2. क़ानून के कथन 10

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून और बच्चों–महिलाओं के हक 10
2. क्या ये प्रावधान स्थितियों को पूरी तरह से बदल सकते हैं ? 17

3. क्रियान्वयन के पहलू 18

4. मूलभूत सिद्धांत 25

5. परिशिष्ट – सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश 28

v. ÙÁçÚØæ

खाद्य सुरक्षा, भोजन का अधिकार और पोषण की सुरक्षा के मतलब

खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा का मतलब है समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होना, जो भोजन सांस्कृतिक तौर पर सभी को मान्य हो और उन्हें हासिल करने के समुचित माध्यम गरिमामय हों। खाद्य सुरक्षा की इकाई देश भी हो सकता है, राज्य भी और गाँव भी। खाद्यान्न का खूब उत्पादन होने पर अनाज की उपलब्धता तो बढ़ती है परन्तु यह जरूरी नहीं कि हर परिवार के पास भी भोजन की उपलब्धता होगी, जब तक कि उसके पास खाद्यान्न हासिल करने के साधन (जैसे रोज़गार या सामाजिक सुरक्षा या सरकारी योजना का संरक्षण) न हों। एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ उसके सही और समान वितरण की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ही एक कोशिश के रूप में हमारी सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकान से सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध करवाती है।

भोजन का अधिकार

भोजन का अधिकार एक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। इस अधिकार का हनन न हो यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। केवल अनाज से हमारी थाली पूरी नहीं बनती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें विविधतापूर्ण भोजन (अनाज, दालें, खाने का तेल, सब्जियां, फल, अंडे, दूध, फलियाँ, गुड़ और कंदमूलों) की हर रोज़ जरूरत होती है ताकि कार्बोहायड्रेट, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा किया जा सके। भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने में सरकार की सीधी भूमिका है क्योंकि अधिकारों का संरक्षण जनोन्मुखी नीति बना कर ही किया जाता है और सरकार ही नीति बनाने की जिम्मेदारी निभाती है। यदि यह विविधता न हो तो हमारा पेट तो भर सकता है, परन्तु पोषण की जरूरत पूरी न हो पाएंगी। सामान्यत: केवल गरीबी ही भोजन के अधिकार को सीमित नहीं करती है; लैंगिक भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण भी लोगों के भोजन के अधिकार का हनन हो सकता है। पीने के साफ पानी, स्वच्छता और सम्मान भी भोजन के अधिकार के हिस्से हैं।

पोषण की सुरक्षा

पोषण की सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब सभी लोग हर समय पर्याप्त और जरूरी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन का वास्तव में उपभोग कर पाते हों। जीवन को सक्रीय और स्वस्थ रूप से जीने के लिए जरूरी इस

भोजन में विभिन्नता, विविधता, पोषण तत्वों मौजूदगी और सुरक्षा भी निहित हो। इसके साथ ही स्वच्छता पूर्ण पर्यावरण, पर्याप्त स्वास्थ्य और उससे जुडी सेवाएं शामिल हैं। (संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक)

बच्चों के पोषण का अधिकार

बचपन की भुखमरी, दरअसल बचपन की विभिन्न अवस्थाओं में सही मात्रा में और पोषण गुणवत्ता के हिसाब से भोजन न मिलने का त्रासद परिणाम होता है। शिशु अवस्था में भोजन और पोषण के अभाव के ये विभिन्न चरण हैं – मातृत्व के शुरुआती दिनों में भोजन–पोषण सुरक्षा, शिशु को जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान और 18 साल की उम्र तक उसे उचित आहार–पोषण मिलते रहना। इस पूरी अवधि में बाल भुखमरी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि जन्म के बाद नवजात और शिशु की खाद्य–असुरक्षा (जन्म के बाद के पहले साल में पोषण की असुरक्षा) सबसे ज्यादा होती है और यही असुरक्षा देश में दो–तिहाई से अधिक बाल–मृत्यु का कारण है।

क्या है बाल कुपोषण ?

''ब्रिटिश कन्साइज एनसायक्लोपीडिया में इसे अपर्याप्त भोजन अथवा पोषक तत्वों को अवशोषित करने या पचाने में असमर्थता के चलते पैदा होने वाली स्थिति बताया गया है। मुमकिन है कि शिशु को दिया जाने वाला आहार उसे सही कैलोरी या प्रोटीन नहीं उपलब्ध करा पा रहा हो। यह भी संभव है कि इस आहार में एक या इससे अधिक विटामिन व खनिज तत्वों की कमी हो। इससे शिशु को आगे चलकर कुपोषण से जुड़ी कुछ खास तरह की बीमारियां (बेरीबेरी, पेलाग्रा, रिकेट्स या स्कर्वी) हो सकती हैं। कुपोषण के चलते शिशु के पाचन तंत्र, लिवर, किडनी पर असर पड़ सकता है, साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं के चयापचय–सम्बंधी दोष पैदा होने से उम्र के साथ वह पोषक तत्वों को ठीक से पचा नहीं पाता है।''

चूंकि बच्चा खुद अपने भोजन संबंधी अधिकार को सुनिश्चित नहीं कर सकता, इसलिए खाद्य उत्पादन, सरकारी खरीद, वितरण और अंततः उसे शिशु को खिलाने तक की पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी समाज व राज्य की है। हम मानते हैं कि इस प्रक्रिया में राजनीतिक और नीतिगत अनदेखी से कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि आगे चलकर गंभीर कुपोषण का भयावह रूप धारण कर लेती है। देश के मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में जब तक बच्चे की भोजन एवं पोषण संबंधी जरूरत को समझा और सम्मान के साथ पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक बच्चे इसी तरह कुपोषण के सबसे ज्यादा शिकार बनते रहेंगे। इस तरह यह मसला एक मासूम बच्चे का अमानवीय तरीके से बहिष्कार और उसे जीवन के मूलभूत अधिकार से वंचित करने जैसा है। भारत में अब सरकार के महत्वपूर्ण स्तरों पर बच्चों के पोषण और मातृत्व हकों, दोनों को ही अहम् विषय माना जाने लगा है। अब आईसीडीएस महज़ एक योजना नहीं है, अब इसे मिशन मोड में

संचालित किया जाने लगा है। इसमें राष्ट्रीय पोषण परिषद् की व्यवस्था की गयी है, जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करेंगे। राज्य स्तर पर राज्य पोषण परिषद् की व्यवस्था है, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होंगे।

बचपन की खाद्य असुरक्षा की वर्तमान स्थिति को मूलत: संयुक्त राष्ट्र के सम्बद्ध समझौतों के द्वारा निर्धारित 'भोजन अधिकार' व 'भूख से मुक्ति' के निर्णायक संदर्भ में देखा जाना चाहिये। आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र (सी.ई.एस.सी.आर.) अपने छठे पैराग्राफ की सामान्य टिप्पणी क्रमांक 12 में स्पष्ट करता है, ''भोजन का अधिकार तभी फलीभूत होता है, जब समुदाय में या अपने निजी स्तर पर, प्रत्येक पुरुष, महिला एवं बच्चे को हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो या फिर उसकी प्राप्ति के साधन मुहैया हों।'' भोजन के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा यह परिभाषा और भी विकसित की गयी है। इसके अनुसार,'भोजन के अधिकार का मतलब है- प्रत्यक्ष तरीके से या वित्तीय साधनों के जरिए या अप्रत्यक्ष ढंग से नियमित, स्थायी और बिना किसी बाधा के पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता के लिहाज़ से पर्याप्त और भरपूर ऐसा भोजन, जो व्यक्ति के समुदाय की खान-पान सम्बंधी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हो और जिसे हासिल करके व्यक्तिगत एवं सामूहिकता में शारीरिक और मानसिक रूप से एक संतुष्ट, गरिमामय और निडर जीवन जिया जा सकता हो।

सी.ई.एस.सी.आर. की टीप 12 के पैरा 8 व 13 के अनुसार भोजन अधिकार की प्राप्ति के लिये ये चीजें जरूरी हैं- भोजन की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता के साथ उपलब्धता, भोजन प्राप्त करने की क्षमता और अवसर यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर पर्याप्त भोजन को प्राप्त कर सकने की आर्थिक एवं भौतिक योग्यता।

हमें इन्हीं विवरणों व परिभाषाओं के संदर्भ में बच्चों की खाद्य सुरक्षा को अपनी नज़र में रखना होगा। यानी एक ऐसा बाल-केन्द्रित तरीका जो सभी बच्चों की खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में ऊपर उल्लिखित तमाम आवश्यकताओं और प्रतिबद्धताओं को सर्वोपरि रखे। बच्चों की खाद्य सुरक्षा का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि माताएं अपने बच्चों को उसके जीवन का सबसे पहला सबक यानी भूख के साथ जीने का तरीका सिखाने पर मजबूर न हों।

पोषण असुरक्षा यानी कुपोषण के व्यापक कारण

समुदाय के स्तर पर आजीविका की असुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले साधनों के छीने जाने और सामुदायिक प्रबंधन की व्यवस्था खत्म होने के कारण परिवार के सदस्यों के हर रोज के खाने में कुछ न कुछ अभाव रहने लगा है। इस स्थिति में बच्चों को उनकी उम्र की संवेदनशीलता (चूंकि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्हे पोषण युक्त भोजन अनिवार्य होता है) के मान से भोजन उपलब्ध नहीं होता है और कुपोषण की स्थिति पैदा होती है।

लैंगिक भेदभाव के कारण भोजन के वितरण में असमानता मौजूद रहती है और महिलाओं की जरूरत

पूरी नहीं हो पाती है। इस पर भी लड़कियों और किशोरी बालिकाओं के साथ भोजन के हक में भेदभाव बच्चों के जीवन के साथ जुड़ जाता है।

गर्भावस्था में स्वास्थ्य सेवायें और पोषण नहीं मिलने के कारण महिलायें असुरक्षित मातृत्व के जोखिम में होती हैं और जन्म लेने वाले बच्चे अक्सर कम वज़न (कुपोषण का एक प्रकार) के होते हैं। इसके बाद यह पाया जाता है कि जन्म के तत्काल बाद एक घंटे के भीतर जरूरी माँ का दूध नवजात शिशु को नहीं मिलता है। इतना ही नहीं कुछ प्रकरणों में 24 से 72 घंटे तक बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है। और वह भूखा रहता है, इससे कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ती है। फिर हम पाते हैं कि ज्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं या घर में श्रम करती हैं। इन्हे आराम, आजीविका की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों को स्तनपान करने के लिए कोई विशेष संरक्षण या हक नहीं मिलते हैं। उन्हें प्रसव के कुछ ही दिनों बाद मजदूरी या काम में जुटना पड़ता है। इससे महिलाओं के जीवन पर जोखिम बढ़ता है। इसके साथ ही बच्चों को मिलने वाले माँ के दूध के अवसर भी कम होते हैं।

बच्चों के जीवन का अगला महत्वपूर्ण चरण होता है छह माह की उम्र होते ही उपयुक्त (नरम ठोस आहार मिलना) ऊपरी भोजन मिलना। समाज में जब शिशु भोजन करना शुरू करते हैं तब उसे एक तरह के समारोह के रूप में मनाया जाता है। मध्यप्रदेश में विकास संवाद, स्पंदन और सीडीसी द्वारा किये गए अध्ययन से पता चला कि व्यापक तौर पर छह माह के स्थान पर बच्चों को 8 से 9 माह की उम्र में ऊपरी आहार देना शुरू किया जा रहा है (विकास संवाद; 2013)। इससे बच्चों का वज़न न केवल कम हुआ, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हुई। यह पाया गया कि ज्यादातर बच्चे अतिसार (डायरिया), बुखार, खसरा, निमोनिया और त्वचा की बीमारियों से बार-बार ग्रसित हो रहे हैं। यही बीमारियाँ बच्चों की मौतों का सबसे बड़ा कारण भी बन रही हैं। बार-बार बीमार होने से भी बच्चे कमज़ोर पड़ रहे हैं और कुपोषण का फंदा ज्यादा कठोरता से कस रहा है।

महिलाओं की खाद्य सुरक्षा और भेदभाव के कारण बच्चों का कम वज़न का होने, परिवार और समुदाय के स्तर की खाद्य असुरक्षा और बार-बार बीमार पड़ने से कुपोषण के बीज पनपते हैं। बचपन की खाद्य और पोषण असुरक्षा समाज में एक ऐसा वर्ग खड़ा करती है, जिसे भविष्य में कमजोर और अनुत्पादक मानकर विकास की मुख्यधारा से बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ग के विकास की जरूरत को यह कहकर नकार दिया जाता है कि इन्हें केवल सेवा या समर्थक की भूमिका ही तो निभानी है। इसके लिए आधा पेट खाना ही काफी है। आज का विकास व्यक्तिगत कौशल और क्षमताओं की बुनियाद पर खड़ा है और यही आगे बढ़ने की शर्त भी है। परन्तु कुपोषण का जाल बच्चों को विकास की दौड़ में कहीं टिकने नहीं देगा। हमारा समाज भूख की अभिव्यक्ति के लिये भाषा चाहता है, पर वह बच्चों की भाषा को नहीं समझता। यह शिशु की आंखों से निकल रहे आंसुओं की भाषा है। वे हाथ-पैर हिलाकर भोजन मांगते हैं। भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके बच्चे अपनी जरूरत न आंसुओं से बता पाते हैं और न ही हाथ-पैर हिलाकर। शून्य हो जाती हैं उनकी आंखें। वे मर कर बता जाते हैं कि उनकी भाषा हम समझ ही नहीं पाए।

परिवार और समुदाय के बीच बढ़ रहे आजीविका के संकट ने बच्चों की खाद्य सुरक्षा को गंभीर बनाने में गहरी भूमिका निभाई है। बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण बढ़ रहा पलायन उनके जीवन में चुनाव का कोई विकल्प ही नहीं छोड़ रहा है। यह बदहाली इतनी ज्यादा है कि परिवार रोजी-रोटी की तलाश में अपने दो-तीन माह के शिशुओं को लेकर पलायन करने पर मजबूर हैं। ऐसे स्थानों पर भी, जहां न कोई संरक्षण है, न स्वास्थ्य सेवा। सामाजिक बहिष्कार और जाति आधारित उपेक्षा बच्चों के पोषण के हक़ का हनन करती है। इसी तरह बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन के कारण सामाजिक और प्राकृतिक संसाधन आधारित खाद्य सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस विस्थापन और सही-सम्मानजनक पुनर्वास के अभाव में बच्चे स्थायी कुपोषण में धकेले गए हैं। इसका मतलब है कि समानता और गरिमा का अधिकार भी पोषण और भोजन के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है।

जन्म के समय शिशु का कम वजन भी उसकी ताउम्र अस्वस्थता का बड़ा कारण होता है। गर्भावस्था के समय उचित आहार न मिलने और घरेलू हिंसा की शिकार होने के कारण महिलाओं के साथ-साथ बच्चों की स्थिति भी खराब हो रही है। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के बच्चों में स्नायु तंत्र से सम्बन्धित रोगों के मामले बढ़े हैं।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान की एक रपट के अनुसार वे सभी बच्चे जिनका जन्म के समय वजन कम था, अधिकांश गरीब परिवारों से आते थे। एक तिहाई बच्चों की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण ही होती है। पोषण की कमी के चलते बच्चों में तपेदिक (टीबी) जैसे संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है। इनके लिए न तो रोज़गार की सुनिश्चितता होती है, न ही स्वास्थ्य और मातृत्व हकों का कोई प्रावधान रहा है।

बात स्पष्ट है कि भोजन का अभाव अपने आप में वंचितपन पैदा भी करता है और बच्चों को कुपोषण-बीमारी के जटिल चक्र में धकेल देता है। इस चक्र को तोड़ने की जरूरत है।

पोषण के हक को परिभाषित करते राष्ट्रीय नज़रिए

संविधान के नज़रिए से पोषण का हक

सबसे पहला बुनियादी सवाल तो यही है कि अपने आहार के प्रति बच्चों का कोई हक बनता भी है या नहीं ? जी हां, बिलकुल बनता है। अपने तमाम प्रकारों व विविध रूपों में भूख के वर्तमान स्तर भारतीय संविधान में दर्ज प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का हनन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक जनहित याचिका (पी.यू.सी.एल. बनाम भारत सरकार व अन्य) में बार-बार यह तथ्य स्थापित किया है कि खाद्य सुरक्षा जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के हक को इंसान का मूलभूत अधिकार बताया गया है। इसके अनुसार, ''कानून की किसी अपवादस्वरूप प्रक्रिया

के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।[1]''

संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है- ''सरकार को छह साल की उम्र तक के सभी बच्चों की बाल्यकाल से जुड़ी सारी देख-रेख और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की जवाबदेही निभानी होगी।[2]''

अनुच्छेद 47 कहता है, ''अपने नागरिकों का पोषण-स्तर व उनका जीवन स्तर सुधारना तथा जन-स्वास्थ्य की बेहतरी को सरकार अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगी। उसकी जिम्मेदारी चिकित्सकीय उद्देश्यों के अलावा, ऐसे नशीले पदार्थों व औषधियों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की भी होगी, जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं।[3]''

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश[4]

पी.यू.सी.एल. बनाम भारत सरकार व अन्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है - ''न्यायालय इस बात को लेकर चिन्तित है कि समाज के निर्धन व बेसहारा व कमजोर तबके भूख व भुखमरी से न पीड़ित रहें। भूख और भुखमरी को रोकना सरकार - केन्द्र व राज्य, दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। अब यह सब कैसे सुनिश्चित हो, एक नीतिगत मसला है जिसे सरकार को सुलझाना होगा। न्यायालय तो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी गोदामों में भरा पड़ा अनाज न तो समुद्र में फिके और न ही चूहों का भोजन बने। बिना क्रियान्वयन के नीतियां निरर्थक हैं। महत्वपूर्ण यह है कि खाद्यान्न उन लोगों तक पहुंचे जो भूख और भुखमरी के शिकार हैं।''

इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से कहा है कि ''वह अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) का सर्वव्यापीकरण करे। इसका आशय है कि छह साल तक के हर बच्चे को आई.सी.डी.एस. के तहत सभी छह सुविधाएं गुणात्मक रूप से पाने का अधिकार है। इसके साथ न्यायालय यह भी हवाला देता है कि देश की सभी बसाहटों में एक-एक आई.सी.डी.एस. केन्द्र होना चाहिये।''

बच्चों के पोषण सम्बंधी अधिकारों को परिभाषित करने वाली प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाएं और संधियाँ

संयुक्त राष्ट्र संघ

मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौम घोषणा कहती है कि हरेक व्यक्ति को अपने व परिवार की भलाई व बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसे जीवन-स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान व स्वास्थ्य सेवा व आवश्यक सामाजिक सुविधाएं शामिल हैं।[5] इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुसार -

(1) इससे जुड़े सारे देश अपनी जनता को पर्याप्त आहार, वस्त्र, आवास सहित एक यथेष्ठ जीवन-स्तर व इसमें लगातार बेहतरी करने के प्रत्येक नागरिक व उसके परिवार के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं।

(2) इस प्रतिज्ञा पत्र के मुताबिक सारे देश अपने यहां हर व्यक्ति के भूख से मुक्ति सम्बंधी मूलभूत अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं और वह खुद या अंतरष्ट्रीय सहयोग से ऐसे कदम उठाएंगे जो भी इसे लागू करने के लिए जरूरी हों।[6]

लेकिन बच्चों के लिए ये प्रावधान ठीक ऐसे नहीं हैं। बच्चों की विशेष परिस्थितियों व आवश्यकताओं के संदर्भ में ही इन्हें देखा व आत्मसात किया जाना चाहिये, कारण यह है कि आहार व पोषण सम्बंधी उनके नैसर्गिक अधिकार ही उनकी उत्तरजीविता, विकास व गरिमा की नींव हैं।

बाल-अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते (1989) के अनुच्छेद 24[7] के मुताबिक -

1. समझौते में शामिल देश बीमारी के उपचार और फिर स्वस्थ रहने के लिए उच्चतम संभव स्वास्थ्य सम्बन्धी मानक सुविधाएँ प्राप्त करने के बच्चे के अधिकार को मान्यता देते हैं। समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी बच्चे को ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं पाने के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

2. (ग) बीमारी और कुपोषण दूर करने के प्रयास करना, इसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रारंभिक देखभाल के दायरे में, अन्य बातों के अलावा, तुरंत और आसानी से उपलब्ध टेक्नोलोजी के जरिये और पर्याप्त पौष्टिक भोजन और साफ पेयजल उपलब्ध करके और पर्यावरण प्रदूषण के खतरों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए, बीमारी और कुपोषण को दूर करने के प्रयास शामिल हैं।

   (घ) बच्चे के जन्म से पूर्व और बाद में माताओं के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल सुनिश्चित करना;

3. यह घोषणा पोषण-सम्बंधी बच्चों के अधिकार की साफ तौर पर व्याख्या करती है। यह बाल अधिकार समझौता कहता है- ''इस पर दस्तखत करने वाले सभी देश इस अधिकार का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और खासतौर पर इसके लिए उपयुक्त कदम उठायें; जैसे रोग एवं कुपोषण से निपटने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य के ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ तुरन्त उपलब्ध टेक्नोलॉजी का प्रयोग व पर्याप्त पौष्टिक आहार व पीने का साफ पानी मुहैया कराना।''

खाद्य एवं कृषि संगठन

खाद्य एवं कृषि संगठन बाल-अधिकारों पर समझौते (सी.आर.सी.) का हवाला देता है। धारा 21 (1) में कहा गया है कि सभी बच्चों को एक ऐसा जीवन जीने का अधिकार है, जो उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक व सामाजिक विकास के हिसाब से पर्याप्त हो। हस्ताक्षरकर्ता देशों से सी.आर.सी की अपेक्षा है कि वे बाल-कुपोषण को खत्म करेंगे (धारा 24 (2)सी)); खासकर पोषण के संदर्भ में ''एक अच्छे जीवन-स्तर हेतु बच्चों के अधिकार के क्रियान्वयन के प्रति माता-पिता के प्राथमिक कर्तव्य पालन में मददगार होने में उपयुक्त कदम उठायेंगे (धारा 27 (3))।''

इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान से लेकर सर्वोच्च न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों में बार-बार बच्चों के पोषण के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है और वायदा किया गया है कि समाज और सरकार मिलकर बच्चों के पोषण के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

खाद्य सुरक्षा की परिभाषाएं और पोषण का अधिकार

विश्व खाद्य सम्मलेन (1974) के मुताबिक ''कीमतों और उत्पादन के उतार-चढ़ाव की स्थिति से निपटने और भोजन के उपभोग के सतत विस्तार को बनाए रखने के लिए बुनियादी भोजन सामग्री की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना।[8]''

वर्ष 1983 में खाद्य और कृषि संगठन ने इस परिभाषा को विस्तार दिया- ''यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों की उनकी जरूरत के लिए बुनियादी भोजन तक हर समय भौतिक और आर्थिक पहुँच हो।[9]''

वर्ष 1986 में विश्व बैंक की रिपोर्ट- पावर्टी एंड हंगर के मुताबिक ''एक सक्रिय और स्वास्थ्य जीवन के लिए हर व्यक्ति के हर समय पर्याप्त भोजन तक पहुंच होना।[10]''

1990 के मध्य तक आते-आते खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गयी, इसे व्यक्ति से लेकर वैश्विक संदर्भ तक जोड़ कर देखा गया। अब भोजन तक पहुंच की सोच में पर्याप्त भोजन, विद्यमान प्रोटीन-उर्जा की कमी वाले कुपोषण से जुड़े पहलू शामिल हो गए। परिभाषा का विस्तार करते हुए सक्रिय और स्वास्थ्य जीवन के लिए भोजन की संरचना और सूक्ष्म पोषक तत्वों से साथ खाद्य सुरक्षा (सेफ्टी) और पोषक तत्वों के संतुलन के महत्व को इसमे जोड़ा गया[11]।

वर्ष 1996 में विश्व खाद्य सम्मलेन में एक और जटिल परिभाषा अपनाई गयी - ''एक व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा तभी हासिल होती है, जब सभी लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी, हर समय उनकी खुराक की जरूरत और उनकी भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन तक भौतिक और आर्थिक

पहुंच सुनिश्चित हो[12]''।

वर्ष 2001 में खाद्य असुरक्षा की स्थिति में परिभाषा को फिर से स्पष्ट किया गया – ''खाद्य सुरक्षा की स्थिति तभी होती है जब सभी व्यक्तियों को हर समय खुराक की जरूरत को पूरा करते हुए सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक और उनकी प्राथमिकता वाले भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित हो[13]''।

आज ज्यादा जोर उपभोग, मांग और वंचित तबकों की भोजन तक पंहुच से जुडे पक्षों पर है। इसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपने अध्ययनों से बहुत साफ किया है। वे खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में व्यक्ति और परिवार के भोजन के हकों पर ज्यादा जोर देते हैं[14]।

सही नीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा और पोषण की अवधारणा को एक साथ उपयोग में लाया जाने लगा है। इन दोनों को एक साथ रखने के पीछे का मकसद यह है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण एक दूसरे से जुड़ी हुई अवस्थाएं और जरूरतें हैं।

पिछले कुछ सालों में सर्वोच्च न्यायालय में इन विषयों पर महत्वपूर्ण पहल करके पोषण और मातृत्व हक को पहला कानूनी आकार दिया। फिर इसके बाद सितम्बर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अस्तित्व में आया। इन तमाम सन्दर्भों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों को देखे जाने की जरूरत है, जो पोषण, कुपोषण की पहचान और मातृत्व हक को कानूनी अधिकार का दर्ज़ा देते हैं। इतना ही नहीं इस कानून में कहा गया है कि पोषण उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों (स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्र) में पीने के पानी, रसोईघर और स्वच्छता की व्यवस्था भी होना चाहिए। जवाबदेहिता सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण के लिया ढांचागत व्यवस्थाएं की गयी हैं।

---

[1] मौलिक अधिकार, भारत का संविधान

[2] नीति निर्देशक तत्व, भारत का संविधान

[3] नीति निर्देशक तत्व, भारत का संविधान

[4] आईसीडीएस, मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन योजना के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को थोड़ा विस्तार से परिशिष्ट–एक में देखें।

[5] http://www.un.org/en/documents/udhr/

[6] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

[7] पृष्ठ 10, बच्चों के अधिकार वैकल्पिक प्रोटोकॉल सहित बच्चे और हमारी जिम्मेदारी, यूनिसेफ का प्रकाशन

[8] United Nations- 1975- Report of the World Food Conference] Rome 5&16 November 1974- New York. (अनुवाद)

[9] FAO. 1983. World Food Security: a Reappraisal of the Concepts and Approaches. Director General's Report. Rome. (अनुवाद)

[10] World Bank. 1986. Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries. Washington DC. (अनुवाद)

[11] http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm (अनुवाद)

[12] FAO. 1996. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. (अनुवाद)

[13] FAO. 2002. The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome. (अनुवाद)

[14] Sen, A. 1981. Poverty and Famines. Oxford: Clarendon Press. (अनुवाद)

W. ·¤æÙÙ ·¤ ·¤ÍÙ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून और बच्चों-महिलाओं के हक

भारत सरकार ने 10 सितम्बर 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून लागू किया है। अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मातृत्व हक़ या जननी सुरक्षा योजना के लाभ और मध्यान्ह भोजन योजना एक योजना हुआ करती थीं। अब देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या को सस्ते राशन का हक़ मिला है। अब आईसीडीएस, मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन योजना भी इस क़ानून का हिस्सा हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून का मकसद

इस क़ानून की सबसे शुरूआती पंक्तियाँ ये हैं– ''जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण सुरक्षा और उससे सम्बंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए क़ानून।''

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत इन हकों को व्यापक तौर पर तीन रूपों में शामिल किया गया है –

(1) हर बच्चे का पोषण का अधिकार

(2) हर महिला (गर्भवती और धात्री) के पोषण का अधिकार

(3) मातृत्व हक (कुछ खास शर्तों के अधीन कुछ महिलाओं को छोड़ कर सभी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में)

क़ानून में बच्चों और महिलाओं के हकों को विभिन्न धाराओं, उद्देश्यों और कारणों के कथन और अनुसूची में स्पष्ट किया गया है।

कानून के उद्देश्यों और कारणों के कथन

बिंदु 7 (ग) – प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान करने वाली माता को गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात के छह माह के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क भोजन के लिए हकदार बनाना, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण सम्बन्धी मानकों को पूरा किया जा सके और ऐसी स्त्रियों के लिए छह हज़ार रुपए के अन्यून के प्रसूति फायदे का ऐसी किश्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाएँ, उपबंध करना।

बिंदु 7 (घ) – चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को – (i) छह माह से छह वर्ष की आयु समूह के बच्चों की दशा में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क आयु के अनुसार समुचित भोजन का

हकदार बनाना, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण सम्बन्धी मानकों को पूरा किया जा सके और (ii) कक्षा 8 तक के या छह से चौदह वर्ष की आयु समूह के बच्चों की दशा में, स्थानीय निकायों या सरकार द्वारा चलाये जा रहे और सरकार से सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों में विद्यालय अवकाश को छोड़ कर, प्रत्येक दिन एक बार नि:शुल्क दोपहर के भोजन का हकदार बनाना, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण सम्बन्धी मानकों को पूरा किया जा सके।

बिंदु 7 (ङ) – राज्य सरकार से, ऐसे बच्चों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करने की और स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क भोजन उपलब्ध करने की अपेक्षा करना, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण सम्बन्धी मानकों को पूरा किया जा सके, तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच खर्च में हिस्सा बाँटना भी है, ऐसी रीति से जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, स्त्रियों और बच्चों की हकदारियों से सम्बंधित स्कीमों का क्रियान्वयन करना।

बिंदु 7 (च) – प्रस्तावित विधान के अध्याय 2[15] के अधीन पात्र व्यक्तियों को, खाद्यान्न या भोजन की हक़दार मात्रा का प्रदाय न किये जाने की दशा में, प्रत्येक व्यक्ति को सम्बंधित राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाने समय के भीतर और रीति के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार बनाना।

क़ानून की धाराओं के अनुसार

अध्याय 2 की धारा 4

ऐसी स्कीमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित की जाएँ, प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान करने वाली माता निम्नलिखित के लिए हकदार होंगी –

(क) गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात के छह माह के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क भोजन, जिससे अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

(ख) कम से कम छह हज़ार रुपए का ऐसी किश्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, का प्रसूति फायदा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से नियोजित सभी गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताएं या वे स्त्रियां, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे ही फायदे मिल रहे हैं, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट फायदों के लिए हक़दार नहीं होंगी।

[15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के अध्याय 2 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस, मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन योजना का उल्लेख है यानी इन सभी योजनाओं के हकदार खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने के हकदार होंगे।

अध्याय 2 की धारा 5

(1) खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक की, उसकी पोषणीय आवश्यकताओं के लिए, निम्नलिखित हकदरियां होंगी –

(क) छह मास से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु की जरूरत के मुताबिक समुचित नि:शुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार मानकों को पूरा किया जा सके:

परन्तु छह मास से कम आयु के बालकों के लिए, केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जायेगा;

(ख) कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में, इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालाओं में, विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़ कर, प्रत्येक दिन नि:शुल्क एक बार दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएँ होंगी:

परन्तु नगरीय क्षेत्रों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भोजन पकाने के लिए केंद्रीकृत रसोईघर की सुविधाओं का, जहाँ कहीं अपेक्षित हो, उपयोग किया जा सकेगा।

अध्याय 2 की धारा 6

राज्य सरकार, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करेगी और उनको नि:शुल्क भोजन उपलब्ध करवाएगी, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार मानकों को पूरा किया जा सके।

अध्याय 3 की धारा 8

खाद्य सुरक्षा भत्ता – इस धारा के अधीन हकदार व्यक्तियों के खाद्यान्न या भोजन की हक़दार मात्रा का प्रदाय न किये जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति सम्बंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हक़दार होंगे, जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से संदाय किया जायेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाएँ।

अध्याय 7 की धारा 14

प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत काल सेंटर, हेल्प लाइन्स, नोडल अधिकारियों का पदाभिहित किया जाना भी है या ऐसा अन्य तंत्र, स्थापित करेगी, जो विहित

किया जाए।

अध्याय 7 की धारा 15

(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए, अध्याय 2 के अधीन हक़दार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण सम्बन्धी विषयों के व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए और इस अधिनियम के अधीन हकदारियों के प्रवर्तन के लिए, एक अधिकारी, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा, नियुक्त या पदाभिहित करेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकार हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किये जाने और उससे सम्बंधित मामलों के सम्बन्ध में शिकायत सुनेगा और उनके निवारण के लिए ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, आवश्यक कार्यवाही करेगा।

अध्याय 7 की धारा 16

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानिटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकेगी।

अध्याय 11 की धारा 28

(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधित किया जाए, उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी।

अध्याय 11 की धारा 29

(1) प्रत्येक राज्य सरकार.....सतर्कता समितियों का गठन करेगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनेगी, जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या नि:शक्त व्यक्तियों को सम्यक प्रतिनिधित्व देते हुए, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएँ।

(2) सतर्कता समितियां, निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगी, अर्थात: -

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना।

(ख) इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में सूचित करना और

(ग) उसके द्वारा पाए गए किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के बारे में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में सूचित करना।

अनुसूची - 2 (पोषण मानकों के सन्दर्भ में)

पोषण के मानक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून की अनुसूची - 2 में दर्ज हैं। ये अनुसूची इस प्रकार है -

किनके लिए?	किस तरह का भोजन	पोषण मानक
बच्चे (6 माह से 3 वर्ष);	घर ले जाए जाने वाला राशन	500 कैलोरी और 12-15 ग्राम प्रोटीन;
बच्चे (3 से 6 वर्ष);	सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन (जरूरी होगा कि भोजन और नाश्ते में कैलोरी की मात्रा अलग-अलग स्पष्ट की जाए। दोनों से 500 कैलोरी दिए जाने से पोषण की गुणवत्ता और मात्रा बहुत सीमित रह जायेगी।)	500 कैलोरी और 12-15 ग्राम प्रोटीन (भोजन के लिए निर्धारित हो);
बच्चे (6 माह से 6 वर्ष), जो कुपोषित हैं;	घर ले जाए जाने वाला राशन	800 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन;
गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान करने वाली माताएं;	घर ले जाए जाने वाला राशन	600 कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन;

क़ानून में इन योजनाओं के शामिल होने का मतलब क्या है?

इस नए क़ानून के बन जाने के बाद इन योजनाओं के तहत आने वाली सेवाएँ अब नागरिकों, महिलाओं और बच्चों का अधिकार बन गयी हैं। इसका मतलब यह कि सरकार हर परिस्थिति में लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा का अधिकार देगी। हांलाकि इस क़ानून में केवल पोषण आहार की सेवा को शामिल किया गया है, परन्तु हम सब जानते हैं कि पोषण आहार की सेवा देने के लिए भी हमें वृद्धि निगरानी, परामर्श सेवाओं को भी सुदृढ़ बनाना होगा।

- इस क़ानून में शामिल सभी योजनाओं का नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, यानी ग्राम सभा/वार्ड सभा सभी कार्यक्रमों की समीक्षा और मूल्यांकन करेगी।

- हर जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति होगी।
- राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग का गठन होगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 के मुताबिक 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषणयुक्त भोजन का अधिकार है। यह क़ानून मातृत्व हक़ का भी प्रावधान करता है। हम नीचे दी हुई तालिका से यह जान सकते हैं कि यह क़ानून माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को क्या हक़ देता है? और इनके क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं?

सामाजिक अंकेक्षण [अध्याय 1 (20)]

अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 भी लागू हो गया है। हमारे लिए यह क़ानून दो नज़रियों से महत्वपूर्ण है –

क. एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के पोषण आहार वाले हिस्से, मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन को भी इस क़ानून में शामिल किया गया है।

ख. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 में सामाजिक संपरीक्षा (सामाजिक संकेक्षण) का प्रावधान किया गया है। इस क़ानून में सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) के सन्दर्भ में दो महत्वपूर्ण उल्लेख हैं –

1. ''सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन की सामूहिक रूप से मानिटर और उसका मूल्यांकन करती है।'' – [अध्याय 1 (20)]
2. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा।

इन दोनों बिंदुओं का अध्ययन करने से समझ आता है कि आंगनवाड़ी के जरिये संचालित होने वाला पोषण आहार कार्यक्रम, कुपोषित बच्चों की पहचान का काम और मातृत्व हक सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) के प्रावधान के तहत आते हैं। इस काम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग (बच्चों और गर्भवती-धात्री महिलाओं का पोषण आहार) और मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाले विभाग से इन दस्तावेजों को लोगों की पहुंच में रखे जाने या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाए जाने की अपेक्षा रहेगी –

आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत

- आंगनवाड़ी से दर्ज गर्भवती–धात्री महिलाओं और बच्चों की सूची वाला रजिस्टर
- उपस्थिति पंजी/रजिस्टर और स्वयं सहायता समूह का रिकार्ड
- गांव का/आंगनवाड़ी केंद्र के क्षेत्र के सर्वे रजिस्टर
- पोषण आहार वितरण और स्टाक
- निरीक्षण पंजी
- वृद्धि निगरानी रजिस्टर
- मातृत्व हक की पात्र महिलाओं की सूची और सर्वे एवं पंजीयन रजिस्टर
- यह देखा जाना कि वहां पीने के पानी, स्वच्छता और भोजन पकाने की सुविधाएँ हैं
- कोई बच्चे पोषण आहार और वृद्धि निगरानी से बाहर तो नहीं हैं
- टेक होम राशन व्यवस्था का निरीक्षण

मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्थानीय निकाय / स्कूल से

- स्कूल से बच्चों की उपस्थिति पंजी।
- मध्यान्ह भोजन पंजी।
- भोजन सामग्री का रजिस्टर/प्राप्ति/उपभोग की जानकारी।
- यह देखा जाना कि वहां पीने के पानी, स्वच्छता और भोजन पकाने की सुविधाएँ हैं।
- भोजन करने और बैठने की व्यवस्था क्या है ?
- स्वयं सहायता समूह और केन्द्रीयकृत रसोई का रिकार्ड
- निरीक्षण पंजी

जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि सबसे वंचित बच्चे मध्यान्ह भोजन योजना शामिल हुए हैं या नहीं, नियमित रूप से उन्हें मध्यान्ह भोजन मिल रहा है या नहीं, भोजन गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, बिना भेदभाव के बच्चे एक साथ बैठ कर खा रहे हैं या नहीं, पीने के पानी और बर्तनों में कोई भेदभाव न हो, हमें यह भी देखना होगा कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, पलायन करते हैं, कचरा बीनते हैं या बेघर हैं, उन्हें मध्यान्ह भोजन का हक दिलाने के लिए क्या कोई विशेष पहल हुई ? क्या हकदार अपनी शिकायत दर्ज करा पाए, क्या उसका निराकरण हुआ ? जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि सबसे वंचित बच्चे इसमे शामिल हुए हैं या नहीं, नियमित रूप से उन्हे पोषण आहार मिल रहा है या नहीं, वह पोषण आहार गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, बिना भेदभाव के बच्चे एक साथ बैठ कर खा रहे हैं या नहीं, पीने के पानी और बर्तनों में कोई भेदभाव न हो, महिलाओं को मातृत्व हक पाने के लिए भटकना न पड़े और उन्हें सम्मान मिले। हकों का हनन होने पर कहाँ शिकायत दर्ज करना है, क्या यह लोगों को पता है, क्या उनकी शिकायत का निराकरण हुआ !! इन्हीं सन्दर्भों में मामलों को जांचने और जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यक्रम की समीक्षा का नाम है – **सामाजिक संपरीक्षा**।

क्या ये प्रावधान स्थितियों को पूरी तरह से बदल सकते हैं?

नहीं ! इनसे बदलाव की शुरुआत जरूर हुई है। वास्तव में कुपोषण, खून की कमी, शिशु और मातृ मृत्यु की गंभीर स्थिति और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बच्चों और महिलाओं के पोषण के अधिकार और मातृत्व हकों को व्यापक नजरिए से देखा जाना जरूरी है। केवल सीमित आर्थिक सहयोग या पोषण आहार से पूरी स्थिति नहीं बदलेगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में दर्ज प्रावधानों का जिम्मेदारी और गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन हो। आर्थिक लाभ के साथ महिला को आराम और वेतन सहित काम से छुट्टी का हक मिलना चाहिए। तभी इस कानूनी अधिकार को महिला के मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकेगा। **पहली** बात यह है कि हर महिला एक नागरिक है और उसे बिना भेदभाव के मातृत्व हक मिलना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मातृत्व हकों में दो बच्चों की सीमा तक या 19 वर्ष की उम्र या इसके बाद ही लाभ दिए जाने की शर्तें लागू न की जाएँ, क्योंकि ऐसा करके हम महिलाओं का दोहरा शोषण कर रहे होंगे। **दूसरी** बात यह है कि हर महिला (जो गर्भवती होती है) की तत्काल पहचान हो और उसका पंजीयन हो, यह काम बहुत दूरी पर नहीं, बल्कि बिल्कुल निकट के आंगनवाड़ी केंद्र में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से हो सकता है।

तीसरी बात यह कि ये हक उसे मिल सके इसके लिए राशि के भुगतान की व्यवस्था का सुदृढ़ होना जरूरी है। इस कानून में जो हक तय किये गए हैं, वह महिला तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विभाग की होना चाहिए। **चौथी** बात यह है कि यह कानून हर महिला (सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारी को छोड़ कर) के हकदार बनता है। यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि जातिगत या व्यावसायिक देह व्यापार करने वाली महिलाओं, घुमक्कड़ और खानाबदोश समुदाय की महिलाओं, पलायन करने वाले समूहों और बेघर महिलाओं को यह लाभ कैसे मिलेगा ! हर राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे वंचित वर्गों की सहभागी सामाजिक प्रक्रिया से पहचान की जाए और यह जांचा जाए कि महिलाओं और बच्चों को उनके हक मिल रहे हैं या नहीं। सामाजिक अंकेक्षण और निगरानी व्यवस्था में इन बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि सबसे वंचित तबके की महिलायें इससे वंचित रह जाएँ। वे वंचित न रह जाएँ, इसके लिए महिलाओं के पंजीयन की एक व्यापक और कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था बनानी होगी।

यह कानून कहता है कि छोटे बच्चे (छह महीने से कम उम्र के) को माँ का दूध पाने का हक है। यह हक तब तक नहीं मिल पायेगा जब तक महिला को काम से अवकाश नहीं मिलेगा और शिशु और युवा बच्चों के भोजन के व्यवहार (आईवायसीएफ) के हिसाब से आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य की सेवाएँ गठित नहीं होंगी। समुदाय और आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर कौशलपूर्ण परामर्श सेवाओं और सामुदायिक निगरानी की बात हमें करना ही होगी। यह कानून एक बड़ी शुरुआत है क्योंकि इसमें हक तो शामिल हैं ही।

आईसीडीएस और मातृत्व हक

हमें सोचना होगा कि इस क़ानून में बच्चों और महिलाओं के पोषण हकों को सुनिश्चित करने के लिए क़ानून के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए एक बेहतर और स्पष्ट व्यवस्था कैसे बने ?

किनके हक़ ?	क्या हक़ हैं ?	क्रियान्वयन कैसे हो ?
गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पोषण का अधिकार [अध्याय 2 /धारा 4 (क)] और मातृत्व हक़ [अध्याय 2 / धारा 4 (ख)]	इस क़ानून के मुताबिक गर्भवती महिलाओं और धात्री माता को स्थानीय आंगनवाड़ी से नि:शुल्क घर ले जाए जाने के लिए भोजन मिलेगा। यानी यह स्पष्ट है कि गर्भावस्था के नौ माह और शिशु के जन्म के बाद छह माह तक महिलाओं को पोषण आहार पाने की पात्रता होगी। क़ानून कहता है कि जो भोजन मिलेगा, उससे 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए।	आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता आंगनवाड़ी के रिकार्ड में सभी गर्भवती और धात्री महिलाओं की संख्या और जानकारी दर्ज करेगी और इसके मान से पोषण आहार की मांग करेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह घरों पर जाकर गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार के साथ बातचीत करे और परामर्श दे। आशा कार्यकर्ता और एनएनएम इस काम में सह-जिम्मेदार होंगी।
	मातृत्व हक़ के रूप में हर गर्भवती महिला को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस पर बीपीएल की शर्त जैसी कोई शर्त नहीं होगी। चूंकि मातृत्व लाभ/हक के तहत आर्थिक सहायता का भुगतान बैंक खाते के जरिये किया जायेगा, इसलिए जरूरी है कि हर महिला का शून्य शेष (जीरो बेलेंस) पर खाता खोला जाए। यदि महिला का बैंक खाता नहीं है तो आंगनवाड़ी में उसका पंजीयन होते ही बैंक अथवा डाकघर में खाता खोल दिया जाना चाहिये।	हर महिला का पंजीयन हो और उनका बैक खाता अथवा डाक घर में खुला हो या खोला जाए। यह सुनिश्चित करना कि हर महिला (कुछ विशेष शर्तों को छोड़ कर) को मातृत्व हक़ मिले। गर्भपात अथवा मृत शिशु के जन्म की स्थिति में भी महिला के लिए यह स्पष्ट होना जरूरी है कि उसे विशेष सहायता मिले ताकि वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो सके। इनकी पहचान करना और सुनिश्चित करना कि हाशिये पर धकेले गए समुदायों को अनिवार्य रूप से मातृत्व हक मिलें; जैसे – बेघर, घुमंतू और खानाबदोश, पलायन करने वाली या वो

	पंचायत/स्थानीय निकाय और सम्बंधित विभाग की यह संयुक्त जिम्मेदारी होना चाहिए कि हर महिला का बैंक या डाकघर में खाता खुला हो और इसके अभाव में वह मातृत्व हक से वंचित न रह जाए।	महिलायें, जो लोहा-पीटे, सपेरे, पारधी, जातिगत-पेशेवर देह व्यापार जैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों के निशाने पर स्थित पेशों से जुडी हुई हैं, आदि। इसके बिना समावेशीकरण की सोच को लागू करना संभव ही नहीं है।
जन्म से 6 माह तक के बच्चों के लिए [अध्याय 2 / धारा 5 (क)]	आंगनवाड़ी के जरिये छह माह से कम उम्र के बच्चों के लिए केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जायेगा।	सबसे बुनियादी बात यह है कि माँ को आराम और सहयोग मिले, छह माह तक के बच्चों को अपना पूरा हक मिल पायेगा। सभी बच्चों का आंगनवाड़ी में पंजीयन करना इस पहल का अहम् हिस्सा होगा। समुदाय के स्तर पर परामर्श सेवाओं को मज़बूत बनाना होगा। साथ ही यह निगरानी भी रखना होगी कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद से मां का दूध मिले। इस सन्दर्भ में परामर्श सेवाओं की बहुत जरूरी भूमिका होगी। इस सन्दर्भ में कामकाजी महिलाओं और घर के काम में श्रम करने वाली महिलाओं को मदद प्रदान की जाना होगी। इस मामले में श्रम क़ानून, महात्मा गाँधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना और आईसीडीएस मिशन के तहत झूलाघर स्थापित करवाना और उनका सही संचालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा।
6 माह से 3 साल तक के बच्चों के लिए [अध्याय 2/ धारा 5 (क)]	आंगनवाड़ी के जरिये 6 माह से 3 वर्ष की उम्र के बच्चों को घर ले जाया जाने वाला भोजन मिलेगा। जिसमें 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। [अनुसूची - 2]	यह देखना होगा कि नियमित रूप से बच्चों को घर ले जाए जाने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार मिल रहा है। बच्चों की संख्या के मान से पोषण आहार (टीएचआर) की मांग की जाए और समय पर उसका वितरण हो। हमें यह भी देखना होगा कि घर पर इस भोजन का उपयोग बच्चे करें। यह सुनिश्चित करना कि बच्चियों को भोजन बिना भेदभाव के मिले।

3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए [अध्याय 2 / धारा 5 (क)]	आंगनवाड़ी के जरिये 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह नाश्ता और फिर गर्म पका हुआ भोजन मिलेगा। जिसमें 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। [अनुसूची - 2]	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के प्रावधानों के मुताबिक पोषण आहार उपलब्ध करवाना। यह राशन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जब भी पैकेटबंद राशन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए जारी किया जायेगा, उसके साथ राशन की गुणवत्ता जांच किये जाने का प्रमाणपत्र /जिस एजेंसी ने जांच की, उसके द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छाया प्रति भेजी जाना चाहिए। यह छाया प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास रखी जाना चाहिए। आंगनवाड़ी में सम्मानजनक और सामंजस्य पूर्ण माहौल उपलब्ध करवाना। यह देखना की बच्चियों को भोजन बिना भेदभाव के मिले। हर माह सर्वे करके विकलांगता और वंचितपन से प्रभावित बच्चों को जरूर शामिल करना। घर ले जाए जाने वाले राशन के पैकेट पर राशन की पेकिंग की तारीख और किस तारीख तक उसका उपयोग किया जा सकता है, दर्ज होना की जायेगी। पैकेट पर पोषण मानकों और राशन में उपयोग की गयी सभी सामग्रियों की सूची और उनकी पोषक मात्रा दर्ज होना चाहिए।
आंगनवाड़ी केंद्र में जरूरी सुविधाएँ [अध्याय 2 /धारा 5 (ख)]	यह क़ानून कहता है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र में खाना पकाने, पीने के पानी और स्वच्छता (शौचालय) की सुविधाएँ होंगी।	यह जांचना कि आंगनवाड़ी केंद्र हवादार और सुरक्षित है? उसमे खाना पकाने की अलग से व्यवस्था उपलब्ध है? पीने के साफ़ पानी का स्रोत उपलब्ध है और केंद्र के भीतर पानी साफ़ बर्तन में रख गया है। सभी बच्चों की बिना रोकटोक पानी के बर्तन तक पहुँच है। केंद्र में बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। आंगनवाड़ी केंद्र में साफ-सफाई हो और शौचालय भी उपयोग के लायक बने रहें। साथ

		में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई जाति विशेष को ही शौचालय की सफाई के काम के लिए न लगाया जाए।
6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों के लिए [अध्याय 2/धारा 6]	स्थानीय आंगनवाड़ी ऐसे बच्चों की पहचान करेगी, जो कुपोषण की गिरफ्त में हैं। ताकि पोषण आहार के जरिये कुपोषण को दूर किया जा सके। आंगनवाड़ी के जरिये 6 माह से 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चे कुपोषित हैं, उन्हें घर ले जाए जाने वाला भोजन मिलेगा। जिसमे 800 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। [अनुसूची - 2]	हर माह, हर बच्चे की वृद्धि निगरानी होना। स्थानीय आंगनवाड़ी ऐसे बच्चों की पहचान करेगी, जो कुपोषण की गिरफ्त में हैं। ताकि पोषण आहार के जरिये कुपोषण को दूर किया जा सके। यह जांचना कि आंगनवाड़ी केंद्र में नियमित रूप से वृद्धि निगरानी की जा रही है। वृद्धि निगरानी के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे उम्र के मान से वज़न, लम्बाई के मान से वज़न, ऊपरी मध्य बांह की फीते से माप ली जाना आदि। यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चे की वृद्धि निगरानी हो और बच्चे के परिजनों को उसके विकास - वृद्धि के बारे में स्पष्ट समझने में आसान तरीके से जानकारी दी जाना जाए। इस श्रेणी के हर बच्चे को उसकी जरूरत के मुताबिक पोषण आहार मिलना। हमें यह देखना होगा कि यदि घर ले जाए जाने वाला राशन मिल रहा है, तो वह बच्चे के द्वारा उपभोग किया जा रहा है कि नहीं! हर आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों और महिलाओं की वज़न मशीन उपलब्ध होना चाहिए। हर माह इस बात की निगरानी होना चाहिए कि वज़न मशीन का रख रखाव सही ढंग से हो रहा है। हर आंगनवाड़ी केंद्र में वृद्धि चार्ट की उपलब्धता होना चाहिए।

मध्यान्ह भोजन योजना

क़ानून के तहत प्रावधान

कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की दशा में, इनमे से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में, विद्यालयों अवकाश दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन नि:शुल्क एक बार दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके। **[धारा 5, उपधारा 1 (ख)]**

[स्पष्टीकरण की जरूरत – ऊपर लिखे प्रावधान के मुताबिक मध्यान्ह भोजन के लिए दो तरह से हकदारी परिभाषित की गयी है। एक कक्षा के मुताबिक और दूसरी उम्र के मुताबिक। पहला वर्गीकरण तो स्कूल पर लागू होता है, दूसरे वर्गीकरण में यह नहीं कहा गया है कि स्कूल में दर्ज छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों की दशा में मध्यान्ह भोजन मिलेगा। इसका मतलब यह भी है कि स्कूल से बाहर के बच्चे, जो इस आयु वर्ग में हैं, भी भोजन के अधिकार के पात्र हैं।]

उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएँ होंगी: **[धारा 5, उपधारा]**

परन्तु नगरीय क्षेत्रों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भोजन पकाने के लिए केंद्रीयकृत रसोईघरों की सुविधाओं, जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, उपयोग किया जा सकेगा। **[धारा 5, उपधारा 2]**

पोषण मानक

[अनुसूची 2]

निम्न प्राथमिक कक्षाएं – गरम पका हुआ भोजन – 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन

उच्च प्राथमिक शालाएं – गरम पका हुआ भोजन – 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन

सतर्कता, शिकायत निवारण और राज्य स्तरीय व्यवस्था

- क़ानून के तहत शामिल सभी योजनाओं, जिसमे मध्यान्ह भोजन योजना भी शामिल है, की सतर्कता समिति द्वारा नियमित निगरानी की जायेगी।
- जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बंधित सभी प्रकरणों की भी सुनवाई करेगा और कार्यवाही करेगा।
- राज्य खाद्य आयोग मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बंधित सभी प्रकरणों की भी सुनवाई करेगा और कार्यवाही करेगा।

यह ज़रूर हो कि –

1. अवकाश के दिन छोड़ कर हर रोज पका हुआ भोजन मिले।

2. बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक तरीके से गुणवत्तापूर्ण गरम और पका हुआ भोजन बच्चों को मिलना चाहिए।

3. हर स्कूल में भोजन पकाने के लिए सुरक्षित स्थान होगा। स्कूल में स्थित रसोईघर के रखरखाव के लिए वित्तीय संसाधन और जिम्मेदारी स्थानीय निकायों अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन होना चाहिए।

4. हर स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए।

5. स्कूलों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत अधिकारपूर्वक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए महिला मंडलों/स्वयं सहायता समूहों/स्थानीय निकायों को काम दिया जाना चाहिए। इससे भोजन तैयार किये जाने की प्रक्रिया की समुदाय निगरानी कर सकेगा।

6. स्कूल में हर रोज बच्चों को भोजन परोसे जाने से पहले शिक्षकों और शाला प्रबंधन समिति और समुदाय द्वारा भोजन चखा और जांचा जायेगा।

7. यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का भेदभाव या दुर्व्यवहार न हो। भोजन के लिए समावेशी बैठक व्यवस्था का निर्माण किया जाना होगा।

8. क़ानून में स्पष्ट उल्लेख है कि हर बच्चे को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत हक मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ आवश्यक बातें सुनिश्चित की जाना होंगी –

    i. गांव/बस्ती/बसाहट के हर बच्चे का नाम स्कूल में दर्ज हो।

    ii. यह सुनिश्चित करना कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आयें ताकि उन्हें भोजन का भी हक मिल सके।

    iii. यदि कोई बच्चे स्कूल से बाहर हैं या दर्ज होने के बाद भी स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो इस पहलू पर निगरानी के लिए व्यवस्था होगी ताकि उन बच्चों की पहचान की जा सके और समस्या का समाधान करते हुए बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

    iv. यदि छह वर्ष से 14 वर्ष की उम्र का कोई बच्चा स्कूल से बाहर है या दर्ज नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी मध्यान्ह भोजन योजना के तहत भोजन का हक मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जायेगा।

    v. बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जिनके नाम स्कूल में दर्ज नहीं हैं या किन्ही कारणों से वे स्कूल नहीं जा पाते हैं – जैसे बेघर, कचरा बीनने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले, पलायन पर जाने

वाले आदि। वास्तव में वे सबसे वंचित बच्चे हैं। उन्हें निकटतम स्कूल से मध्यान्ह भोजन योजना पाने का हक होना चाहिए। इसी के माध्यम से उन्हे और उनके परिजनों को शिक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया जा सकेगा।

9. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में छुट्टियों में भी मध्यान्ह भोजन योजना के तहत भोजन दिया जाना जारी रहना चाहिए। इस सन्दर्भ में बेहतर होगा कि नियमों के तहत यह स्पष्ट किया जाए कि प्राकृतिक आपदाओं, साम्प्रदायिक या जातिगत हिंसा या टकराव की स्थिति में बच्चों के भोजन के अधिकार को सीमित नहीं किया जायेगा।

10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बच्चों को भारत सरकार द्वारा तय न्यूनतम मात्रा और पोषण तत्वों के मुताबिक भोजन उपलब्ध हो।

11. स्कूल में साफ-सफाई हो और शौचालय भी उपयोग के लायक बने रहें। साथ में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई जाति विशेष को ही शौचालय की सफाई के काम के लिए न लगाया जाए।

12. मध्यान्ह भोजन योजना के तहत बच्चों की बात सुनने और उस पर कार्यवाही के लिए सक्रिय व्यवस्था बनायी जाना जरूरी है ताकि भोजन के स्वाद, गुणवत्ता और भोजन करने की व्यवस्था-व्यवहार में बारे में उनकी बात को दर्ज किया जा सके।

13. मध्यान्ह भोजन एक कानूनी प्रावधान है। इसमें भोजन के लिए आवंटन को मूल्य सूचकांक से जोड़ने के साथ-साथ वास्तविक लागत के साथ जोड़ा जाना होगा। साथ ही रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी से काम राशि का भुगतान नहीं किये जाने की व्यवस्था बनायी जाना चाहिए।

14. मध्यान्ह भोजन योजना में मोटे अनाज के उपयोग को प्राथमिकता दी जाना होगी। यह स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण की दृष्टि से बेहद जरूरी कदम है।

मध्यान्ह भोजन के सन्दर्भ में 1 दिसंबर 2009 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निम्न मानक जारी किये गए थे-

भोजन मानक - 01.12.2009 से लागू			
क्रमांक	**सामग्री**	**प्रति बच्चा मात्रा / दिन**	
		प्राथमिक	**उच्च प्राथमिक**
1.	अनाज	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जियाँ (पत्तेदार सब्जियाँ भी)	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	खाने का तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	नमक और मसाले	जरूरत के मुताबिक	जरूरत के मुताबिक

y. ×ÜÖÌ çâhæÌ

आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल तक पहुंच

यह स्पष्ट होना चाहिए कि 500 मीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना होगी। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के क़ानून के तहत स्कूल की व्यवस्था हो।

कोई वंचित न हो

यह सुनिश्चित और स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि किसी भी महिला को गर्भपात होने या मृत शिशु के जन्म होने पर भी उसे पोषण और मातृत्व हकों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

बेघर, विकलांगता से प्रभावित या रोज़गार के लिए पलायन करने परिवारों के बच्चे और महिलायें हकों से वंचित न हो।

आपदा की स्थिति में

प्राकृतिक आपदा, जातिगत या साम्प्रदायिक हिंसा या किसी भी तरह के टकराव की स्थिति में बच्चों और महिलाओं के पोषण के अधिकार की सुरक्षा की जायेगी और उन्हे पूरा पोषण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। सूखे और अकाल की स्थिति में भोजन योजनायें अनिवार्य रूप से जारी रहना चाहिये।

गैस कनेक्शन

भोजन पकाने की जिम्मेदारी निभाने वाले समूहों/रसोइयों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जायेगा। यह गैस उन्हें रियायती दर पर मिलना चाहिए।

हर बच्चे और महिला का हक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून कहता है कि हर बच्चे और महिला को पोषण का अधिकार मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि गांव/बस्ती/शहरी बसाहट में हर परिवार का सर्वेक्षण हो, ताकि पात्र बच्चों और महिलाओं की पहचान की जा सके।

मात्तृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड को बच्चों और महिलाओं के पोषण-भोजन के अधिकार से जोड़ा जाना चाहिए।

इसके बाद सभी बच्चों और महिलाओं के नाम आईसीडीएस कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से दर्ज होना चाहिए। तत्पश्चात यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि सभी पहचाने और दर्ज किये गए हितग्राहियों को कानूनी प्रावधान के मुताबिक समय पर सम्मानजनक तरीके से गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले।

मूल्यांकन

पोषण आहार और मातृत्व हक कार्यक्रम के विशेष स्वतंत्र और समवर्ती मूल्यांकन की व्यवस्था होना चाहिए। इसमे वार्षिक संयुक्त समीक्षा मिशन (Joint Review Mission) का प्रावधान हो।

सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव

हमें यह मानते हुए समावेशी नियम बनाने होंगे कि समाज में जाति, लिंग, सम्प्रदाय और आर्थिक आधारों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव या सामाजिक बहिष्कार होता है। पंचायत/स्थानीय निकाय और निगरानी व्यवस्था के तहत बने तंत्र की जिम्मेदारी होना चाहिए कि वह भेदभाव–बहिष्कार को पहचाने और उसे खतम करने के लिए गंभीर कदम उठाये।

बेघर, पलायन पर जाने वाले और योजना से बाहर बच्चे

यह क़ानून कहता है कि 14 वर्ष तक के हर बच्चे और हर गर्भवती–धात्री महिला को पोषण का हक मिलेगा। ऐसे में आंगनवाड़ी, मध्यान्ह भोजन योजना और मातृत्व हक के लिए नियमों में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि बेघर बच्चों और पलायन पर जाने वाले बच्चों को सबसे पास के स्कूल या आंगनवाड़ी से सम्मानजनक तरीके से भोजन मिलेगा। इसी तहत मातृत्व हक के लिए भी व्यवस्था की जाना चाहिए।

भोजन की विविधता

खाद्य सुरक्षा और पोषण का अधिकार भोजन की संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। इस हिसाब से समुदाय के भोजन उपभोग के तरीकों के मुताबिक पोषण आहार उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन समुदायों में अंडे का उपयोग किया जाता है, वहां बच्चों को अंडा दिया जाए। चूंकि यह क़ानून राशन प्रणाली में मोटे अनाजों का भी प्रावधान करता है; इसलिए आंगनवाड़ी और मध्यान्ह भोजन योजना में भी इनका स्थानीय उपयोगिता के अनुरूप उपयोग किया जाना चाहिए।

इन दोनों ही कार्यक्रमों में मोटे अनाज, खाने के तेल और दालों के उपयोग को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। बेहतर होगा कि हर जिले के स्तर पर भोजन – पोषण आहार का मेनू बनाया जाए ताकि स्थानीय भोजन को महत्व मिल सके।

जन सुनवाई

आईसीडीएस मिशन के तहत कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सुधार, समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करने और बच्चों–महिलाओं को हक दिलाने के लिए जनसुनवाई की व्यवस्था की गयी है। इस सन्दर्भ में वर्ष में एक बार सभी जानकारियों और अनुभवों को सार्वजनिक करते हुए बसाहट के स्तर पर

जनसुनवाई की जाना चाहिए। इसका नेतृत्व स्थानीय निकायों की महिला जन प्रतिनिधियों को करने की स्वतंत्रता दी जाना चाहिए।

मध्यान्ह भोजन योजना के तहत भी जनसुनवाई की प्रक्रिया लागू की जाना चाहिए।

वृद्धि निगरानी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए वृद्धि निगरानी के काम तो बेहतर ढंग से करना जरूरी होगा। तभी कुपोषित बच्चों की पहचान हो सकेगी। इस दिशा में समुदाय के बीच वृद्धि निगरानी और सामुदायिक स्तर पर प्रदर्शित किये जा सकने वाले वृद्धि चाट्र्स का उपयोग किये जाने का प्रावधान करना होगा।

सहभागिता और विकेन्द्रीकरण

स्थानीय समुदाय के समूहों और महिला समूहों को पोषण आहार बनाने के काम में प्राथमिकता के साथ शामिल किये जाने की व्यवस्था की जाना चाहिए। घर ले जाए जाने वाले भोजन को तैयार किये जाने के काम में भी उनकी सहभागिता हो और इसका पूरी तरह से विकेन्द्रीकरण हो।

स्थानीय निगरानी व्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून में राशन की दुकान (संभवत: पंचायत के स्तर से) सतर्कता समिति के गठन की व्यवस्था है, परन्तु आईसीडीएस के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर सामुदायिक निगरानी के लिए समिति/समूह का गठन किया जाना चाहिए। जो नियमित रूप से सेवाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता की जांच करेगा। इसका जुड़ाव ग्राम पंचायत/वार्ड /स्थानीय निकाय से होना चाहिए ताकि उनके निष्कर्षों के मुताबिक कार्यवाही हो सके।

विकास खंड स्तर पर सूचना और सहायता केंद्र

सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर विकासखंड स्तर पर सूचना और सहायता केंद्र की स्थापना की जाना चाहिए, जो लोगों को आवेदन करने, शिकायत करने या हक न मिलने की स्थिति में तो मदद करें ही, साथ ही खाद्य सुरक्षा, बच्चों और महिलाओं के हकों के सन्दर्भ में प्रेरित भी करें।

z. ÂçÚçàæC - âßæ“æ ‹ØæØæÜØ ·¤ çÙÎðàæ[16]

आईसीडीएस के सन्दर्भ में

28 नवंबर 2001 के निर्देश

हम राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि समन्वित शिशु विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) को पूरी तरह क्रियान्वित करें और सुनिश्चित करें कि देश में सभी आई.सी.डी.एस. वितरण केन्द्र निम्नलिखित उपलब्ध करायेंगे (यह मापदंड पुराने हैं, नये मापदण्ड 22 अप्रैल, 2009 के आदेश में दिये गये हैं):-

(क) छः वर्ष तक की उम्र के हर बच्चे को 300 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन

(ख) हर किशोरी बालिका को 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन

(ग) हर गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली मां को 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन

(घ) हर कुपोषित बच्चे को 600 कैलोरी और 16-20 ग्राम प्रोटीन

(ड) राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र सुनिश्चित करेंगे कि हर बस्ती में एक आई.सी.डी.एस. केन्द्र होगा।

29 अप्रैल 2004 के निर्देश

- हमने गौर किया है कि पोषाहार की लागत का मानक 1 रुपए प्रति बालक है जो 1991 में निर्धारित किया गया था। भारत सरकार को इस 1 रुपए के मानक संशोधित करने पर विचार करना चाहिए तथा अपने सुझाव शपथ पत्र में शामिल करने चाहिए।
- देश में कुल छह लाख केंद्र हैं। भारत सरकार के मानकों के अनुसार 1000 की आबादी (आदिवासी क्षेत्रों में 700) पर एक केंद्र है। याचिकाकर्ता के अनुसार इसी मानक के हिसाब से चलें तो देश में कुल 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र होने चाहिए। भारत सरकार के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 12 लाख ही होगी। हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं वह 3 माह की अवधि में एक शपथ पत्र प्रेषित करे तथा उसमें यह उल्लेख करें कि किस अवधि में वह आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 14 लाख करेगी।
- केन्द्र सरकार अपने शपथ पत्र द्वारा यह सुझाव दे कि वह अपने पोषण आहार के 1 रू. के मानक को कब बदलेगी।
- सभी अनुमोदित आंगनवाड़ी केन्द्रों को 30 जून 2004 तक पूरी तरह शुरू करना है। सभी अनुमोदित आंगनवाड़ी केन्द्रों को बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और धात्री माताओं को पोषण आहार/पूरक पोषण आहार वर्ष में 300 दिन देना होगा।
- 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 तक कितने बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और धात्री

माताओं को कितने दिन तक पोषण आहार दिया गया इसकी जानकारी 31 जुलाई 2004 तक मुख्य सचिव को देनी होगी।

7 अक्टूबर 2004 के निर्देश

- कोशिश करनी चाहिए कि हर दलित/आदिवासी मोहल्ले/आबादी में जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केन्द्र खोली जाए।
- पूरक पोषण आहार योजना अनुसार दिया जाए और हर टोले में आंगनवाड़ी केन्द्र हो।
- आंगनवाड़ी में पोषण आहार पहुंचाने के लिए ठेकेदार का उपयोग नहीं किया जाये और आंगनवाड़ी कोष के अनाज खरीदने और भोजन के खर्च हेतु गांव के समुदाय, स्वयं सहायता समूहों और मण्डलों को प्राथमिकता दी जाये।
- सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी केन्द्रों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाईट पर देनी है। जिसमें आंगनवाड़ी कहां चल रही है, श्रेणीबद्ध हितग्राहियों की संख्या, आवंटित राशि व खर्च और अन्य सम्बन्धित जानकारी देनी होगी।
- सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना की राशि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर केवल राज्य द्वारा आवंटित राशि के अतिरिक्त, उसके स्थान पर नहीं।
- जहां तक हो सके प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर ही अच्छा खाना मिलना चाहिए।
- सभी राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों को जिस प्रकार केन्द्र सरकार राशि आवंटित करती है उसी प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्रों को 1 रु. प्रति बच्चा प्रतिदिन के आधार पर राशि आवंटित करनी है, हर आंगनवाड़ी को 100 हितग्राहियों को साल में 300 दिन खाना खिलाना है।
- आंगनवाड़ी केन्द्र में भर्ती करने के लिए गरीबी रेखा के मापदण्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- सभी स्वीकृत आंगनवाड़ियों को शुरू करना चाहिए और निर्देशानुसार खाना देना चाहिए। जहां बर्तन न हो, वहां बर्तनों की व्यवस्था करनी चाहिए। चालू आंगनवाड़ियों में रिक्त पदों की तुरन्त पूर्ति की जानी चाहिए।
- सभी राज्य सरकारों – केन्द्र शासित प्रदेशों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी/प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत पूरी राशि खर्च करनी है। इसे न तो कहीं और मोड़ा जाए और न ही केन्द्र सरकार को वापस किया जाए। वापस करने की स्थिति में खर्च न कर पाने के कारणों का कोर्ट को पूरा ब्यौरा दिया जाए।
- सभी राज्य केन्द्र शासित प्रदेश झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में भी आंगनवाड़ी चालू करने का भरसक प्रयत्न करें।
- केन्द्र व राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित राशि समय से प्रदान की जाए जिससे कि बच्चों को खाना खिलाने में कोई रूकावट न आये।

13 दिसंबर 2006 के निर्देश

- सरकार दिसंबर 2008 तक देश में कुल 14 लाख आंगनवाड़ियाँ खोलकर उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे।
- साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि इन आंगनवाड़ियों को खोलने में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये।
- सरकार यह सुनिश्चित करे कि आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए जनसंख्या के मापदण्ड को किसी भी हाल ऊपर न बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार ने नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1000 और कम से कम 300 के मानदण्ड रखे हैं। इसके अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नई आंगनवाड़ी खोलने के लिए मांग पर आंगनवाड़ी खोलने का भी प्रावधान रखा जाये। इसमें यदि किसी बसाहट में 40 या उससे अधिक बच्चे हैं और यदि समुदाय मांग करता है तो 3 माह के अंदर सरकार को आंगनवाड़ी अनिवार्य रुप से खोलनी पडेगी[17]।
- सभी 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चे, गर्भवती महिलायें, धात्री महिलायें और किशोरी बालिकाओं को समेकित बाल विकास योजना की सभी सेवायें (पोषण आहार, वृद्धि निगरानी, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, संदर्भ सेवायें, स्कूल पूर्व शिक्षा) प्रदान की जायेगी।
- सभी राज्य के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया जाता है कि निश्चित समय में पोषण आहार का विकेन्द्रीकरण करके उसकी आपूर्ति की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर के समुदाय को दी जाये।

22 अप्रैल 2009 के निर्देश

1975 से आंगनवाड़ी योजना के तहत तय किये गये पोषण के मापदण्ड में बदलाव नहीं आया था। इसमें बदलाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित की गयी थी जिसके सुझावों के अनुसार आंगनवाड़ी योजना के सभी श्रेणियों (6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलायें, धात्री महिलायें) के पोषण आहार में परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार –

क्र.	श्रेणी	पुराने नियम			नये नियम		
		मानक रू. प्रति हितग्राही	कैलोरी	प्रोटीन (ग्रा.)	मानक रू. प्रति हितग्राही	कैलोरी	प्रोटीन (ग्रा.)
1	बच्चे (3 वर्ष से कम)	2.00	300	8 से 10	4.00	500	12 से 15
2	बच्चे (3 से 6 वर्ष)	2.00	300	8 से 10	4.00	500	12 से 15
3	गंभीर कुपोषित	2.70	600	16 से 20	6.00	800	20 से 25
4	गर्भवती एवं धात्री महिलायें	2.30	500	20 से 25	5.00	600	18 से 20

- सरकार के निर्देश क्रमांक 5-9/2005/एनडी/टेक(वाल्यूम-2) दिनांक 24/02/2009 के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को 500 कैलोरी ऊर्जा और 12-15 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्रति बच्चा 'टेक होम राशन' दिया जायेगा। 3 से 6 साल के बच्चों को 500 कैलोरी ऊर्जा और 12-15 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्रति बच्चे को गर्म पका हुआ भोजन एवं नाश्ते के रूप में दिया जायेगा।
- गंभीर कुपोषित बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक) सामान्य बच्चों से 300 कैलोरी अधिक (500 कैलोरी के अलावा) ऊर्जा एवं 8 से 10 ग्राम अधिक प्रोटीन (12-15 ग्राम प्रोटीन के अलावा) युक्त भोजन 'टेक होम राशन' में दिया जायेगा।
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 600 कैलॉरी ऊर्जा और 18-20 ग्राम प्रोटीन प्रति हितग्राही प्रतिदिन तक 'टेक होम राशन' के रूप में दिया जायेगा।
- जहां तक किशोरी बालिकाओं के पोषण आहार का सवाल है सरकार किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम और किशोरी शक्ति योजना के तहत उन्हें लाभान्वित किया जायेगा।

मातृत्व हक से सन्दर्भ में

28 नवंबर 2001 के निर्देश

पहले दो बच्चों के जन्म पर बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं को 500 रू. की राशि, स्थानीय सरपंच के माध्यम से, बच्चे के जन्म से 8-12 सप्ताह पहले देनी है।

27 अप्रैल 2004 के निर्देश

भोजन के अधिकार से सम्बंधित कोई भी योजना जो कि इस केस में मानी गई है। उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बंद नहीं किया जाऐगा।

20 नवम्बर 2007 के निर्देश

- राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना को चालू रखा जाएगा।
- गरीबी रेखा के नीचे आने वाली सभी महिलाओं को प्रसव के 8-12 सप्ताह पहले आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- यह 500 रु. की आर्थिक सहायता बिना महिला की उम्र और बच्चों की संख्या को देखते हुए दी जायेगी।
- सभी सम्बंधित सरकारों को आदेशित किया गया है कि वो योजना का प्रचार प्रसार लगातार करें।

मध्यान्ह भोजन के सन्दर्भ में

28 नवंबर 2001 के निर्देश

- जो राज्य सरकारें सूखा अनाज दे रही हैं उन्हें पका मध्यान्ह भोजन देना शुरू करना होगा। तीन माह के अंदर आधे जिलों में (सबसे गरीब) शुरू करना अनिवार्य है, यानि 28 फरवरी 2002 तक और अगले तीन माह यानि 28 मई 2002 तक सभी जिलों में लागू करना अनिवार्य है।

20 अप्रैल 2004 के निर्देश

- पका भोजन बनाने में आने वाला कोई भी खर्च किसी भी स्थिति में अभिभावकों या बच्चों से नहीं वसूला जायेगा।
- रसोइये व उसके सहायक के चयन में दलित/आदिवासी को प्राथमिकता दी जाए।
- सभी प्राथमिक शालाओं में रसोई घर बनाने और पका भोजन बनाने का खर्च भारत सरकार वहन करे।
- सभी सूखाग्रस्त इलाकों में, गर्मी की छुट्टियों में भी मध्यान्ह भोजन दिया जाए।
- अगले तीन माह में भारत सरकार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे जिसके माध्यम से बताए कि वह, प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह योजना 10वीं कक्षा तक कब लागू करेगी ?
- योजना को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएं– जैसे कि अच्छे भवन, बेहतर सुविधाएं, गहन निरीक्षण, गुणवत्ता की अतिरिक्त सुरक्षा और भोजन के पोषक तत्वों में सुधार, जिससे कि प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पोषक आहार मिल सके।

27 अप्रैल 2004 के निर्देश

- ऐसे सभी राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश जिन्होंने अब तक 28 नवंबर 2001 के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया है, वह प्राथमिक स्कूलों की 2004 की लम्बी छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही आदेश का पालन करने का प्रयोग करेंगे। 1 सितम्बर 2004 तक आदेश का पालन किसी भी स्थिति में किया जाए।
- सभी मुख्य सचिव/प्रशासकों को निर्देश कि वह ऊपर लिखे आदेश के संदर्भों में अपना सहमति पत्र 15 सितम्बर 2004 या उससे पहले प्रस्तुत करें।
- पका भोजन बनाने में आने वाला कोई भी खर्च किसी भी स्थिति में अभिभावकों या बच्चों से नहीं वसूला जायेगा।

---

[16] इस सन्दर्भ में यह देखा जाना होगा कि अब बच्चों के पोषण आहार के लिए प्रति बच्चा आवंटन के मापदंड बदल गए हैं।

[17] इस सन्दर्भ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 अप्रैल 2007 और फिर 29 मई 2009 को दिशा निर्देश जारी किये। इनके मुताबिक समुदाय गांव या बसाहट में 40 बच्चे होने की स्थिति में आंगनवाड़ी केंद्र न होने पर, जिला कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन करेगा। इसकी जांच के बाद यह मांग जिला अधिकारी द्वारा अपनी टीप/अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भेज दी जायेगी। राज्य में यह प्रक्रिया 45 दिन में पूरी होना चाहिए। संतुष्ट होने पर राज्य सरकार नये आंगनवाड़ी केंद्र का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके उपलब्ध संसाधनों के मान से केंद्र सरकार नये केंद्र को खोलने का निर्णय लेगी। केंद्र सरकार के स्तर पर यह निर्णय 45 दिन की अवधि में ले लिया जायेगा।

संविधान में मातृत्व हक

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 (ङ)

''पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।''

भारत के संविधान का अनुच्छेद 42

''काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध – राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।''

[**हमारी व्याख्या** – गर्भावस्था और स्तनपान की अवधि में महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे कठोर श्रम करें या प्रसव के तत्काल बाद कठोर श्रम कर सकें। अत: मातृत्व हकों को व्यापक नजरिए से परिभाषित और लागू किये जाने की जरूरत है। इसी तरह जहाँ भी व्यक्ति काम करता है, वहां की दशा गरिमापूर्ण और न्याय संगत हो, इसकी भी ताकीद भारत का संविधान करता है। जिसमें यह बात भी शामिल है कि गर्भवती और धात्री महिलाओं की स्थिति और जरूरत के मुताबिक व्यवस्था बनायी जाना चाहिए।]

सवाल की मशाल

बीज पनप नहीं सकता है
जब तक मिट्टी न ले उसे संभाल,
पनपने के लिए बीज को
मिट जाना पड़ता है
उतार देना पड़ती है अपनी खाल,

संसद के बनाये हुए कानून भी
अपने आप नहीं पनपते
समाज अपने हाथ में
जब तक न ले उन्हें संभाल,

हमें कतई विश्वास नहीं
त्रिशूल में या तलवार में
हमें तो बस पूछनें हैं कुछ सवाल,

कुछ भी घटे, उठें या बैठें
श्रम करें या मुस्कुराएँ
आओ जरा बांचें खोलें
जमीन को भी परखें
इन कागजों को लें खंगाल,

व्यवस्था को हम न छोड़ेंगे
अब अकेला और बेहाल
पूछते रहेंगे चारों पहर
उसका हाल चाल,

भूख बेकारी जब सवार है जिन्दगी पर
सोने के महल क्यों कर बनवाएं
मकसद इतना भर संघर्ष का है
हमें मरा हुआ समझ कर
कहीं बना न ले हकों पर
मकड़ी अपना जाल,

बात केवल राशन की नहीं है
अस्पताल और स्कूल की भी नहीं
इसी रास्ते से तो होगी मुल्क में
जम्हूरियत फिर से बहाल;